



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur
(कैडर कन्ट्रोल यूनिट)

स्थापना आदेश संख्या : सी.सी.यू.- CCU - 21/2026

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2023 के माध्यम से राजस्थान प्रशासनिक सेवा में RAS के पद पर चयन के परिणामस्वरूप, श्री करण महावर, निरीक्षक (समूह 'B' – अराजपत्रित), CGST आयुक्तालय, उदयपुर द्वारा दिनांक 19.03.2026 को दिया गया त्यागपत्र को दिनांक 25.03.2026 से स्वीकार किया जाता है।

Consequent upon selection to the post of RAS in the Rajasthan Administrative Service through the Rajasthan State and Subordinate Services (Combined Competitive) Examination, 2023 conducted by the Rajasthan Public Service Commission, Ajmer, the **Resignation** dated 19.03.2026 tendered by Shri Karan Mahaver, Inspector (Group 'B' – Non-Gazetted), CGST Commissionerate, Udaipur, is hereby accepted **w.e.f. 25.03.2026**.

चूंकि अधिकारी ने परीक्षा अवधि पूरी नहीं की है और इस विभाग में निरीक्षक के पद पर स्थायी नहीं हुए हैं, इसलिए निरीक्षक ग्रेड में विभाग में उनका कोई ग्रहणाधिकार नहीं रहेगा।

As the officer has not completed the probation period and has not been confirmed in this department on the post of Inspector, therefore, he will not retain any lien in the department in grade of Inspector.

यह आदेश नियुक्ति प्राधिकारी की संस्वीकृति से जारी किया जा रहा है।
This order issues with the approval of the Appointing Authority.

(अनुपमा सक्सेना)
सहायक आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है-

1. निजी प्रति- श्री करण महावर, निरीक्षक, सी.जी.एस.टी. एवं के. उ. शु. आयुक्तालय, उदयपुर।
2. संयुक्त आयुक्त (का. एवं सत.), सी.जी.एस.टी. एवं के. उ. शु. आयुक्तालय, उदयपुर को उनके कार्यालय के पत्र सं. II/(39)/OTH/301/2021-ESTT-O/o COMMR-CGST-UDAIPUR I/4131473/2026 दिनांक 23.03.2026 के संदर्भ में प्रेषित कर लेख है कि श्री करण महावर, निरीक्षक को कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उनके विरुद्ध कोई सरकारी / विभागीय देयता एवं सतर्कता / असतर्कता सम्बन्धी प्रकरण इत्यादि लम्बित नहीं है। तत्पश्चात श्री करण महावर, निरीक्षक को कार्यभार मुक्त कर इस कार्यालय को कार्यभारमुक्ति आदेश की प्रति प्रेषित करें।
3. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर/अलवर/उदयपुर/जोधपुर/अंकेक्षण जयपुर /अंकेक्षण जोधपुर/ अपीलस, जयपुर/अपीलस, जोधपुर/सीमा शुल्क आयुक्तालय, मुख्या.-जयपुर।
4. वेतन एवं लेखाधिकारी, अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
5. अधीक्षक (प्रशा./सत.), मुख्य आयुक्त कार्यालय, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोन, जयपुर।
6. वेबमास्टर, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाईल/ निजी पत्रावली/ सेवा पुस्तिका/ संबंधित एसोसियेशन/ सूचना पट्ट।